
प्रेषक,

संजय कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
बिहार।

पटना, दिनांक-.....

विषय:- विद्यार्थियों की शिकायतों/समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु "विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शिविर" आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-14811 दिनांक-16.08.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि विद्यार्थियों की शिकायतों/समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु "विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शिविर" आयोजन के संबंध में सात निश्चय-3 के अधीन "सबका सम्मान, जीवन आसान" के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के लिए भी प्रत्येक माह के चतुर्थ मंगलवार को "विद्यार्थी सहयोग शिविर" की आयोजन 25 अगस्त 2026 से किया जाना है। यदि चतुर्थ मंगलवार को अवकाश घोषित है अथवा होता है तो यह शिविर अगले कार्य दिवस को आयोजित किया जायेगा।

इस शिविर का आयोजन सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों यथा-विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों, अभियंत्रण महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक, आई०टी०आई०, पारा मेडिकल महाविद्यालय, नर्सिंग स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रावासों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के छात्रावासों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावासों, कस्तुरबा गांधी छात्रावासों एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नेत्रहीन/मुकबधिर विद्यालय में किया जायेगा।

विभाग द्वारा संचालित सभी अल्पसंख्यक छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं के लिए शिविर संबंधित छात्रावास के किसी हॉल/सभागार में आयोजित किया जाय। इस अवसर पर कियोस्क, कम्प्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, बैनर स्टैण्डी तथा पोस्टर तैयार कराकर प्रत्येक शिविर में इसका उपयोग किया जाय। शिविर में स्वयं/प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

उक्त कार्य के लिए प्रथम बार प्रति छात्रावास अधिकतम ₹5000/- (पाँच हजार रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध करायी जा रही है। उसके उपरान्त अन्य महीनों हेतु अधिकतम ₹500/- रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम बार की राशि से विभाग के विद्यार्थी से संबंधित योजनाओं का बैनर-फ्लैक्स-स्टैण्डी जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी से कराकर लगाया जाएगा और इसी का उपयोग आगे की शिविर पर लगाया जाएगा।

छात्र/छात्राओं के द्वारा दिये गये परिवाद/समस्याओं को स्थानीय तौर पर ही सुनवाई कर निष्पादित करने की कोशिश किया जाय, जो परिवाद स्थानीय स्तर पर निष्पादित नहीं की जा सके तथा इसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, प्रारम्भ कर दी जाय, ताकि परिवाद/समस्याओं का निष्पादन किया जा सके।

उक्त के आलोक में विद्यार्थियों की शिकायतों/समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु "विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शिविर" आयोजित करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 21/08/26 /

ज्ञापांक-अ०सं०क०-०१-४६/२०२६ २३४४/

प्रतिलिपि - सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - विभागीय आई० टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु प्रेषित।

संजय-21.08.26

सरकार के संयुक्त सचिव